भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0–71/2015–16

महादेव रमानी– प्रथम पक्ष

बनाम्

बसंत मंडल– द्वितीय पक्ष

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

28.7.17

आदेश

अभिलेख उपस्थापित।

प्रथम पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा अपना पक्ष रखने में अभिरूचि नहीं लिया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्ष एवं कागजात प्रस्तुत किया गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–563/रा0, दिनांक–12.04.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा–गंगटा खुर्द, जमाबंदी संख्या–71 जमाबंदी रैयत मोची राम रवानी वल्द–गजाधर रवानी कौम–कहार सा0–देह अंकित हैं उक्त जमाबंदी में दाग नं0–1059 किस्म–धानी दोयम कुल रकवा–00–13–06 धुर खतियान में दर्ज है। आवेदक महादेव रमानी जो कि जमाबंदी रैयत मोची राम रवानी का परपौत्र है ने आरोप लगाया है कि बसंत मंडल पे0–घनश्याम मंडल साकिन–गंगटा खुर्द के द्वारा वर्णित दाग नं0–1059 में अंश रकवा–00–04–09 धुर भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। स्थल पर पाया गया कि उक्त घर बसंत मंडल पूर्व सैनिक के द्वारा बनाया गया है, जो कि खतियानी जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है अर्थात बाहर का व्यक्ति है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि खतियानी रैयत द्वारा 1935 में द्वितीय पक्ष के पूर्वजों को कुर्फानामा द्वारा लिखा था। 1994 में शपथ–पत्र द्वारा बसंत मंडल की पत्नी सुधा देवी पिता जगदीश प्रसाद साह को इस संबंध में लिख कर दिया गया। सुधा देवी अपनी पति के कमाई से पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाई। सुधा देवी को पिता जगदीश प्रसाद साह से जमीन प्राप्त हुआ। इस संबंध में बसंत मंडल पक्षकार नहीं है। सुधा देवी से जवाब पूछा जाना चाहिए। द्वितीय पक्ष द्वारा झारखण्ड राज्य विधुत बोर्ड स्लीप उपभोक्ता सुधा देवी के नाम से एवं गोड्डा नगर पंचायत गोड्डा का रसीद श्रीमति सुधा देवी के नाम से जमा किया है।

बसंत मंडल सुधा देवी के पति है। वे सुधा देवी का पक्ष रखने के लिए सक्षम है। इनके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान खतियान/जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28.7.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

28.7.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।